न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
हकियत वाद–61 / 2022

वैद्यनाथ प्रसाद शर्मा वगैरह....................................वादीगण

बनाम

शिवचन्द्र ठाकुर वगैरह..प्रतिवादीगण

आदेश

06.12.23 अभिलेख आज वादी की ओर से वादपत्र संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–07.07.2023 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–08.09.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि टंकक भूल के कारण वादपत्र में कुछ शब्द गलत टंकित हो गए हैं जो सम्यक तत्परता के बाद भी पूर्व में शुद्धिकृत नहीं किए जा सके। अतः वर्तमान संशोधन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। प्रस्तावित संशोधन में वादी ने खेसरा 17 कट्ठा दो धूर के स्थान पर पॉच कट्ठा अठारह धूर जोड़े जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि उपरोक्त संशोधन आवेदन वाद को लंबित करने का आशय रखता है एवं खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में विवाद्यक का गठन नहीं हुआ है और प्रतिवादी को लिखित कथन दिए जाने से पूर्व में ही वंचित किया गया है। इस प्रकार न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि वादीगणों का प्रस्तावित संशोधन विश्लेषणात्मक एवं व्याकरणीय त्रुटि है और उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक है। तद्नुसार उपरोक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपना वांछित संशोधन वादपत्र में दर्ज करें।

वाद दिनांक– 17-02-2024 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।